–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 137/2023

उनवान

1. कैलाश पुत्र प्रताप
2. संतोष पुत्री प्रताप समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम गादेरी, नसीराबाद

––प्रार्थीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 17.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गादेरी के खाता संख्या 272/252 किता 5 रकबा 0.74, 160/311 किता 2 रकबा 0.76 व 396/375 किता 10 रकबा 1.15 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की हैं।उक्त आराजी में प्रार्थीगण की जाति त्रुटिपूर्ण तरीके से भांबी के स्थान पर बलाई दर्ज कर दी। जिसे दुरूस्त कर आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण की जाति भांबी दर्ज की जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर अपनी जाति बलाई के स्थान पर भांबी दर्ज कराना चाहता है। उक्त दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नही होता है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम गादेरी के खाता संख्या 272/252 किता 5 रकबा 0.74, 160/311 किता 2 रकबा 0.76 व 396/375 किता 10 रकबा 1.15 की आराजी पर प्रार्थीगण की जाति बलाई दर्ज है। जबकि ग्राम गादोर के खाता संख्या 310/290, 312/291 में प्रार्थीगण की जाति भांबी दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 07.11.2022 के अनुसार भी प्रार्थीगण की जाति भांबी दर्ज है। बलाई व भांबी दोनो ही जाति अनुसूचित जाति वर्ग में है। राज. पैरोकार ने भी प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम गादेरी के खाता संख्या 272/252 किता 5 रकबा 0.74, 160/311 किता 2 रकबा 0.76 व 396/375 किता 10 रकबा 1.15 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आशस से "स्वीकार" किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा पर प्रार्थीगणकी जाति की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार प्रार्थीगण की जाति बलाई के स्थान पर भांबी दुरूस्ती करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:08 IST
Reason: SelfAttested